भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1759

दिनांक, 08.03.2016/18 फाल्गुन, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

मुआवजा राशि में वृद्धि

1759. **श्रीमती कृष्णा राज**:
श्री जगदम्बिका पाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आपदाग्रस्त किसानों हेतु कितनी न्यूनतम मुआवजा राशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या आगामी वित्त वर्ष में आपदाग्रस्त राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश हेतु मुआवजा राशि में वृद्धि करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदा के कारण राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने पशुधन का नुकसान हुआ है;

(घ) क्या उक्त पशुधन के मालिकों को इन पशुधन के नुकसान हेतु किसी प्रकार से मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड़) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदा के दौरान पशुधन की क्षति को कम करने हेतु लोगों को शिक्षित करने और उनमें जागरूकता फैलाने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री किरेन रिजिजू**)

(क) से (ड.): एसडीआरएफ के मानकों के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को उनकी फसलों तथा पशुधन को हुई क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने का कोई मानदंड विद्यमान नहीं है।

.....2/-

तथापि, प्रभावित किसानों को राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एसडीआएफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआएफ) से निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सहायता प्रदान की जाती है। विद्यमान मानकों में, अन्य के साथ-साथ, सिर्फ अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं (अर्थात् चक्रवात, बादल फटना, सूखा, भूकंप, सूनामी, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, आग, कीटाणुओं का हमला, शीत लहर/पाला) के कारण सभी प्रकार के कृषि/बागवानी वाले फसली क्षेत्रों में होने वाले नुकसान के लिए कृषि निवेश सब्सिडी के रुप में (जहां की फसलों को 33% या उससे अधिक की क्षति हुई है।) किसानों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह सहायता बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित तथा न्यूनतम 1000 रु० की सहायता की शर्त पर वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए 6,800 रु० प्रति एकड़ तथा वास्तविक सिंचित क्षेत्रों के लिए 13,500 रु० प्रति एकड़ की दर से तथा बुआई वाले क्षेत्रों तक सीमित न्यूनतम 2000 रु० की सहायता की शर्त पर सभी प्रकार की बारह मासी फसलों के लिए 18,000 रु० प्रति एकड़ की दर से, जहां की फसलों का नुकसान 33% या उससे अधिक का हो, प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, पशुधन की हानि के मामले में दुधारु पशुओं के लिए प्रति भैंस/गाय/ऊंट/याक आदि के लिए 30,000 रु० की दर से, प्रति भेड़/बकरी/सूअर आदि के लिए 3,000 रु० की दर से, दूध नहीं देने वाले पशुओं अर्थात्

प्रति ऊंट/घोड़ा/बैल आदि के लिए 25,000 रु० की दर से तथा प्रति बछड़ा/गधा/टट्टू/खच्चर के लिए 16,000 रु० की दर से तथा पॉल्ट्री के मामले में प्रति लाभार्थी घर 5000 रु० की अधिकतम सहायता की शर्त पर प्रति पक्षी 50 रु० की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

प्राकृतिक आपदा की स्थिति में, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रुप में दी जाती है, न कि होने वाली अथवा दावा की जाने वाली क्षति के मुआवजे के रुप। किसान नियमित योजनाओं के अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं जिसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

किसानों/पशुधन के मालिकों को प्रदान की जाने वाली सहायता/मुआवजे की जानकारी इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती है क्योंकि जमीनी स्तर पर राहत गतिविधियों के कार्यान्यन की जिम्मेवारी वास्तविक स्थिति की भयावहता के अनुसार, जिला प्रशासनिक मशीनरियों के उनके निर्धारित चैनलों के माध्यम से संबंधित राज्य सरकारों की होती है।

.....4/-

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1759

राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2012-13 **से** 2015-16 **के दौरान बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने/चक्रवातीय तूफान आदि सहित सूचीबद्व प्राकृतिक आपदाओं के कारण पशुधन के नुकसान की संख्या के ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।**

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर संस्थागत प्रणालियां मौजूद हैं, जिनमें देश के राज्यों में बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य/जिला तथा स्थानीय प्रशासन के स्तर पर लोगों के बीच जागरुकता फैलाने/उन्हें संवेदनशील बनाने तथा नुकसान को कम करने के उपाय करने सहित प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को शिक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदम शामिल हैं।

*****

वर्ष 2012-13 **से** 2015-16 (15.02.2016 **तक**) **के दौरान चक्रवाती तूफानों/अचानक बाढ़/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई पशुधन की क्षति का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण**

(**अनंतिम**)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष			
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 (15.02.16 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	1858	2517	4777	3669
2	अरुणाचल प्रदेश	891	401	1992	1237
3	असम	9921	--	8961	2482
4	बिहार	--	6458	28	51
5	छत्तीसगढ़	65	--	199	--
6	गुजरात	67	274	112	19388
7	गोवा	2	--	--	--
8	हिमाचल प्रदेश	127	23648	698	686
9	जम्मू एवं कश्मीर	--	74	61326	97
10	कनार्टक	--	286	85	--
11	केरल	619	1366	527	4
12	मध्य प्रदेश	--	1166	--	--
13	महाराष्ट्र	--	2164	53	--
14	मणिपुर	--	--	--	29
15	मेघालय	--	--	8822	--
16	नागालैंड	2560	2680	2860	--
17	ओडिशा	--	5688	672	--
18	पंजाब	3034	954	127	14
19	सिक्किम	105	--	--	1
20	तमिलनाडु	90	--	341	12030
21	उत्तर प्रदेश	--	519	107	15
22	उत्तराखंड	772	9470	348	177
23	पश्चिम बंगाल	4234	45285	145	23120
24	पुडुचेरी	15	48	--	1035
	कुल	24360	102998	92180	64035

*****